बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री महाविद्यालयों को ससमय अनुदान निर्गत करने हेतु विभागीय स्तर पर कोई ठोस नीति नहीं होने के कारण लगभग पांच वर्षों का अनुदान लंबित है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे सेवा निवृत हो रहे शिक्षकों एवं कर्मियों को प्रबन्ध समिति द्वारा अनुदान हासिल करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में ऐस कर्मियों को लंबित सभी अनुदान प्राप्त होने तक उनके अनुभव एवं योग्यता को ध्यान में रखकर सेवानिवृति के पश्चात् भी शिक्षण-कार्य करने हेतु विशेष प्रावधान की अपेक्षा है। साथ ही लंबित सभी अनुदान एकमुश्त विमुक्त करने हेतु भी नीतिगत निर्णय अतिशीघ्र लेने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय-निर्णय के अनुरूप उक्त कोटि के संस्थान का अधिग्रहण पर वहां के शिक्षकों को भी 'समान कार्य एवं दायित्व के लिए समान वेतन' के नैसर्गिक न्याय हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजीव कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 25/2017 - 233 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 10.02.17
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

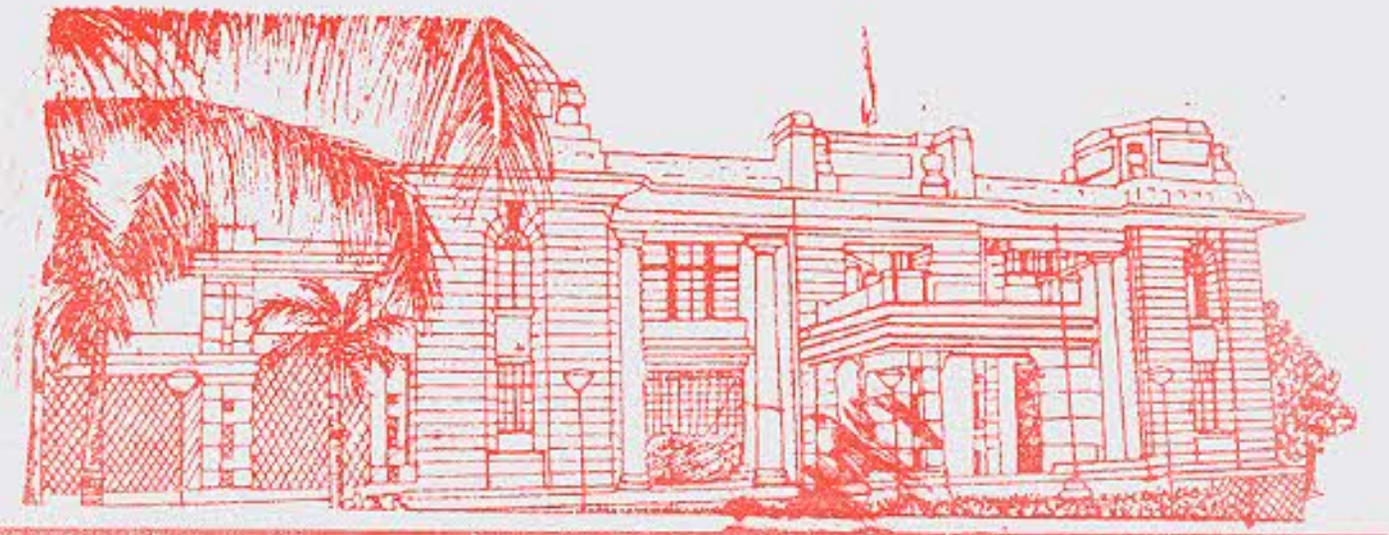

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धबौली (पतरघट), सहरसा हेतु जमीन दाता श्री निर्मल प्रसाद सिंह भवन निर्माण हेतु 0.35 एकड़ भूमि दानस्वरूप निबंधन किया गया तथा इसके नामांकण हेतु प्रास्ताव सभी कागजात के साथ स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी गयी थी। जिसके अवलोकनार्थ विभाग ने अधिसूचना संख्या- 890 (10) दिनांक- 10.12.2014 के द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सबुज देवी पति निर्मल प्रसाद सिंह, धबौली के रूप में नामाकररण किया। तदनुसार स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक- 354 (10), दिनांक- 17.07.2014 के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से भवन निर्माण हेतु तकनीकि अनुमोदित प्राक्कलन की मांग की गयी।

जन प्रतिनिधियों द्वारा भी बार-बार अपने स्तर से अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक भवन निर्माण संबंधी स्वीकृति विभाग स्तर पर लंबित है।

अत: नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धबौली (पतरघट) सहरसा का भवन निर्माण हेतु लंबित स्वीकृत्यादेश यथाशीघ्र निकालने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 26/2017 - 234 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 10.02.17
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

केन्द्र एवं राज्य सरकार ने दिनांक- 12.12.2016 को हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था ताकि लोग इस उत्सव को उल्लास के साथ मना सकें किन्तु उसी दिन राज्य के मिशनरी स्कूलों एवं निजी स्कूलों ने केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा घोषित अवकाश को नजर अंदाज करते हुए न सिर्फ विद्यालयों को खुला रखा बल्कि संत पॉल्स स्कूल, बुद्धा कॉलोनी, दीघा/ संत करेंस स्कूल, गोला रोड, पटना एवं अन्य स्कूलों ने स्कूली परीक्षाएं भी आयोजित की। जिसके कारण बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्र-छात्राएं इस उत्सव में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। जिससे समाज में क्षोभ एवं रोष है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के दो महत्वपूर्ण त्योहारों ईद एवं बकरीद के दूसरे ही दिन से प्रत्येक वर्ष स्कूली परीक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं जिसके कारण लोगों को अपने पैतृक घर से आने-जाने, विद्यार्थियों को त्योहार मनाने एवं पठन-पाठन में भारी कठिनाई होती है। अभिभावकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद स्कूल प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती है।

अत: मैं सरकार से हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिन के अवसर पर स्कूल खुला रखने एवं परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं विभिन्न धर्मों के अति महत्वपूर्ण त्योहारों यथा- ईद, बकरीद, दशहरा, होली एवं छठ आदि के दो दिन पूर्व एवं दो दिन पश्चात् तक स्कूली परीक्षा आयोजित न करने के संबंध में इन स्कूलों को आवश्यक निर्देश देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट बक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 27/2017 - 235 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 10.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत लाल बहादुर शास्त्रीनगर में स्थित तीन तल के मकानों के लिए एक आदेश भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया गया है कि बीच वाले आवासी को नीचे के खाली स्थान में आधे भाग का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इस आदेश से आवासी को कोई फायदा नहीं हुआ है। नीचे के भू-भाग का प्रयोग करने में बीच वाले आवासी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि नीचे वाले आवासी इसका उपयोग करने से मना करते हैं।

अत: मैं सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं कि भवन निर्माण द्वारा निर्गत आदेश के बदले नीचे के खाली भू-भाग में तीन-तीन गैरेज बनाने का आदेश निर्गत किया जाय ताकि आवासी को खाली पड़े भू-भाग का सही उपयोग करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेा

ह./- सलमान रागीब,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 28/2017 - 236 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 10.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार विधान मंडल के माननी सदस्यों, पूर्व सदस्यों को बीमारी के ईलाज कराने के बाद खर्च किए गए राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है, उसी तरह दोनों सदनों के कर्मियों को भी भुगतान किया जाता है।

दुख के साथ कहना पड़ता है कि राशि खर्च करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वर्ष दो वर्षों में भी खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्थिति तो कभी-कभी भयावह हो जाती है कि असाध्य रोग होने पर पैसे का अग्रिम भुगतान भी नहीं हो पा रहा है या कितनों का ईलाज ही नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा प्रश्न यह भी है कि राज्य से बाहर ईलाज कराने के लिए कहा जाता है कि पहले पटना के किसी सरकारी डॉक्टर से अग्रसारित कराइए, यह कहकर भी संसदीय कार्य विभाग, आपत्ति उठाकर संचिका लौटा देता है, इससे बहुत विलंब होता है। यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए तो यह कैसे संभव है।

अत: इस संबंध में सरकार से सदन में प्रतिपूर्ति का आसान तरीका इजाद करने के लिए सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह./- शिवप्रसन्न यादव, स.वि.प.
2. ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प. एवं
3. ह./- राम लषण राम रमण, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 29/2017 - 237 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.02.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 10.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।